संख्या-89/2022/1530/001-6बी-2014-1638129

प्रेषक,

डा0 अखिलेश कुमार मिश्रा,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

परिवहन आयुक्त,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

परिवहन अनुभाग-3 लखनऊ : दिनांक 21 जुलाई, 2022

विषयः- उत्तर प्रदेश सड़क सुरक्षा कोष नियमावली, 2014 के अन्तर्गत गठित कोष प्रबंधन समिति की बैठक दिनॉक 14.05.2022 में अनुमोदन के क्रम में वित्तीय वर्ष 2022-23 हेतु राजस्व पक्ष के अन्तर्गत धनराशि रू0 1415.40 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-903स0सु0/2022-08स0सु0/2021, दिनांक 03 जून, 2022 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2022-23 में सड़क सुरक्षा कोष (राजस्व मद) में प्राविधानित धनराशि रू0 1500.00 लाख के अन्तर्गत कोष प्रबन्धन समिति की बैठक दिनांक 14-05-2022 में अनुमोदित कुल धनराशि रू0 1433.10 लाख के सापेक्ष धनराशि रू0 1415.40 लाख को सड़क सुरक्षा से सम्बन्धित कार्यों हेतु उनके सम्मुख अंकित विवरण के अनुसार व्यय किये जाने की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान करते हुए वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन परिवहन आयुक्त, उ0प्र0 के निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

(रूपये लाख में)

क्र0 सं0	प्रस्तावित मद	कोष प्रबन्धन समिति द्वारा अनुमोदित धनराशि	प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृत हेतु प्रस्तावित धनराशि
1	2	3	4
(1)	सड़क सुरक्षा जागरूकता कार्यक्रम के अन्तर्गत सड़क सुरक्षा नियमों का विभिन्न माध्यमों यथा-	768.00	768.00

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

	एफएम रेडियों, वाइस मैसेज, टेलीविजन पर विज्ञापन, प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया, स्टैण्डी, बैनर, प्ले कार्ड, ग्राउण्ड होर्डिंग, इलेक्ट्रिक पोल, यूनीपोल/ट्री-गार्ड/एल0ई0डी0 स्क्रीन, मोबाइल वैन, हैण्डबिल/पोस्टर, समाचार पत्र-पत्रिकाओं में विज्ञापन, आदि के माध्यम से प्रचार-प्रसार, 26 जनवरी की रैली तथा ट्रेन के बोगी में सड़क सुरक्षा संबंधी प्रचार-प्रसार आदि हेतु।		
(2)	जिला/मण्डल स्तर पर सड़क सुरक्षा समिति की बैठकों के आयोजन एवं सड़क सुरक्षा सप्ताह/माह (राष्ट्रीय/ प्रादेशिक) के आयोजन तथा अन्तर विद्यालय प्रतियोगिता यथा- चित्रकला/रंगोली/ निबन्ध /क्विज प्रतियोगिता हेतु व्यय।	369.00	369.00
(3)	परिवहन विभाग द्वारा 19 बोलेरो, 06 इण्टरसेप्टर तथा 12 पब्लिसिटी वैन अर्थात कुल 37 वाहनो के ईधन/ रख-रखाव पर व्यय हेतु।	50.00	50.00
(4)	प्रदेश में गौतमबुद्ध नगर व गाजियाबाद सहित 20 जनपदों के 205 कॉलेजों में रोड सेफ्टी क्लब गठित हो चुके है। अवशेष 55 जनपदों में प्रति जनपद लगभग 10 स्कूलों/कालेजों की दर से 550 रोड सेफ्टी क्लब का गठन किया जाना प्रस्तावित है। इस प्रकार कुल 755 क्लबों को गठन हो जायेगा। प्रत्येक क्लब को रू0 5000 की दर से कुल रू0 5000 x 755 = 37.75 लाख का व्यय अनुमानित है	37.75	37.75

http://shasanadesh.up.gov.in

(5)	आटोमेटिक ड्राइविंग टेस्टिंग ट्रैक कानपुर नगर एवं बरेली के संचालन एवं रख-रखाव हेतु अनुमानित व्यय।	60.00	60.00
(6)	आई0डी0टी0आर0 रायबरेली के प्रथम 06 माह (अक्टूबर 2022 से मार्च, 2023 तक) के संचालन हेतु व्यय।	40.00	40.00
(7)	इंस्पेक्शन एण्ड सर्टिफिकेशन सेन्टर लखनऊ के संचालन एवं रख-रखाव हेतु अनुमानित व्यय रू0 2.75 लाख प्रति माह की दर से 01 वर्ष हेतु व्यय।	33.00	33.00
(8)	सड़क सुरक्षा कोष से व्यय होने वाली धनराशि का त्रैमासिक आडिट हेतु चार्टड एकाउन्टेन्ट की प्रोफेशनल सर्विसेज को लिये जाने हेतु अनुमानित वार्षिक व्यय।	2.00	2.00
(9)	प्रशिक्षण कार्यक्रम हेतु।	20.00	20.00
(10)	सड़क सुरक्षा हेतु कार्यालय व्यय।	30.00	20.00
(11)	परिवहन आयुक्त कार्यालय में सड़क सुरक्षा सेल के अंतर्गत कार्यरत आउटसोर्सिंग कर्मियों के मानदेय भुगतान हेतु।	23.35	15.65
	योग-अन्य व्यय -	1433.10	1415.40

2- यह आदेश वित्त विभाग द्वारा प्रशासकीय विभाग को प्रतिनिधानित अधिकारों के अन्तर्गत जारी किये जा रहे हैं।

नियम व शर्तें / प्रतिबन्धों

(1) आवंटित धनराशि को व्यय करने से पूर्व वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-13/2022/बी-1-454/दस-2022-231/2022, दिनांक 07 जून, 2022 का अनुपालन अक्षरश: सुनिश्चित किया जाय।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(2) व्यय करने से पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुअल और फाइनेन्सियल हैण्डबुक के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने से पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त् कर ली जाय।

(3) उपरोक्त के सम्बन्ध में व्यय की जाने वाली धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र शासन को उपलब्ध कराने का दायित्व परिवहन आयुक्त का होगा।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 14,15,40,000/- (रुपये चौदह करोड़ पंद्रह लाख चालीस हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2022-2023 के आय-व्ययक में **अनुदान संख्या** 043 **लेखा शीर्षक** 3055-00-800-05-00-उ0प्र0 सड़क सुरक्षा कोष से व्यय **मानक मद-**42-अन्य व्यय के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न संख्या E-9-31-X-2022-23-दिनांक: 13-7-2022 में प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,
ह0/-
(डा0 अखिलेश कुमार मिश्रा)
विशेष सचिव।

संख्या-89/2022/1530/001-6बी-2014-1638129, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2- महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
3- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
4- वित्त नियंत्रक, परिवहन आयुक्त कार्यालय, लखनऊ।
5- वित्त (लेखा) अनुभाग-1
6- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-9
7- निदेशक, वित्तीय एवं सांख्यिकीय निदेशालय, लखनऊ।
8- वैभागिक आदेश पुस्तिका।

आज्ञा से,
ह0/-
मदन मोहन
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।